मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 108वीं बैठक दिनांक 03.09.2004 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः पूर्वान्ह 11.00 बजे।
उपस्थिति

1.	श्री शिवपाल सिंह यादव, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष		श्री शिवपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य		श्रीमती नीरा यादव, कृषि उत्पादन आयुक्त
3.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य		श्री शेखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव, कृषि
4.	डा0 वी0वी0 सिंह, कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद			डा0 वी0वी0 सिंह, कुलपति
5.	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।			श्री एस0ए0ए0 रिजवी, निबन्धक
6.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	सदस्य	प्रतिनिधि	डा0एस0वी0 सिंह संयुक्त निदेशक, उद्यान
7.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य		श्री आर0एस0 पाण्डेय कृषि निदेशक
8.	निदेशक (कृषि विपणन) कृषि विपणन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य		श्री विजय बहादुर यादव निदेशक, (कृषि विपणन)
9.	डा0 रजनीश दुबे मण्डी निदेशक	सदस्य/ सचिव		डा0 रजनीश दुबे सदस्य/ सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही / निर्णय
01.	मा0 परिषद की 107वीं बैठक दि0 19.05.2004 की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
02.	गत 107वीं बैठक की अनुपालन आख्या।	107बीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।
03.	शासनादेश संख्या– 2/1/97–क–2/98 दिनांक 09.07.98 एवं शासनादेश संख्या– 15/18/86–क–1–2001 दिनांक 20.12.2001 के प्राविधानान्तर्गत मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में समूह "ग" एवं "घ" के पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन (अधिष्ठान मद) के कार्मिकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।	दिनांक 29–6–91 तक अथवा इससे पूर्व मण्डी परिषद एवं मण्डी समिति सेवा में समूह "ग" एवं समूह "घ" के पदों पर अधिष्ठान मद में नियुक्त कर्मियों का शासनादेश संख्याः 20/1/97–का–2–1998 दिनांक 09.07.1998 द्वारा जारी "समूह 'ग' के पदों पर दैनिक वेतन पर नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली", 1998 एवं अधिसूचना संख्याः 15 रिट/का–2–2001 दिनांक 21.12.2001 द्वारा असाधारण गजट में प्रकाशित "समूह 'घ' के पदों पर दैनिक वेतन के नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली", 2001 के अनुसार विनियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। यह विनियमितीकरण उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली 1984 के विनियम–48 तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली 1984 के विनियम 29 के अधीन होगा।
04.	वर्ष 2003 में मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में बैकलाग के पदों पर विज्ञापन के आधार पर हुए चयन विषयक प्रस्ताव।	वर्ष 2003 में मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में बैकलाग के पदों पर चयन संबंधी परीक्षा में संविधान के अनुच्छेद–14 एवं 16 का अनुपालन न होने के कारण इस परीक्षा को निरस्त करने का विनिश्चय हुआ एवं सम्यक् विचारोपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि इस बिन्दु पर शासन का भी अभिमत प्राप्त कर लिया जाए।
05.	उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों एवं इन पदों पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता एवं चयन प्रक्रिया उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली 1984 में समावेश किये जाने विषयक प्रस्ताव।	उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों एवं इन पदों पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता एवं चयन प्रक्रिया का उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली, 1984 में समावेश किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्रस्तावित संशोधन जो एजेण्डा पुस्तिका के पृष्ठ 59–64 पर है, कार्यवृत्त का अंश होगा।

06.	मा0 परिषद की 107वीं बैठक दिनांक 19.05.2004 के मद संख्या–6 पर पारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में मण्डी पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती के पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में पुर्नविचार हेतु प्रस्ताव।	मण्डी पर्यवेक्षक के सीधी भर्ती पद हेतु प्रस्ताव के अनुसार संशोधन का औचित्य पाते हुए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि व इण्टरमीडिएट में कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 45 प्रतिशत अंक निर्धारित की गई।
7.	मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में सीधी भर्ती योग्य रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में सीधी भर्ती योग्य रिक्त पदों यथा सहायक वास्तुविद, सहायक नगर योजनाकार, प्रोग्रामर, सचिव श्रेणी–2, सचिव श्रेणी–3 वर्ग–3, मण्डी पर्यवेक्षक, उर्दू अनुवादक सहकनिष्ठ लिपिक पर सीधी भर्ती की कार्यवाही के संबंध में संचालक मण्डल अवगत हुआ। सचिव/ मण्डी पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती हेतु संभावित अधिक आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुये भर्ती की लिखित परीक्षा हेतु उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल का सहयोग लेने का निर्णय लिया गया। यह भी निश्चय हुआ कि भर्ती में प्रत्येक श्रेणी में कुल संवर्ग पर अनुमन्य आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
8.	मा0 परिषद की 107वीं बैठक दिनांक 19.05.2004 के मद संख्या– 6 पर पारित प्रस्ताव मण्डी सचिव/ मण्डी पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती के पद हेतु कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली–1984 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता में संशोधन के क्रम में शासन को प्रेषित पत्रांक– 582 दिनांक 28.07.2004 में उल्लिखित सेवा विनियमावली, 1984 के विनियम–7 के अनुशांगिक विनियम–13 के साथ संशोधन की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव।	मण्डी सचिव की सीधी भर्ती के पद हेतु कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 के विनियम–7 के अनुशांगिक विनियम–13 के प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदित किया गया।
9.	विधि अधिकारी के प्रोन्नति के पद पर	स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

	पात्रता अवधि एवं स्रोत निर्धारित करने के सम्बन्ध में।	
10.	दिनांक 01.04.96 के बाद अधिष्ठान/परियोजना मद में कार्यरत डिग्री/डिप्लोमा धारकों को माप पुस्तिका करने/ पास आर्डर करने का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।	दिनांक 01–4–96 के बाद के अधिष्ठान/परियोजना मद में कार्यरत गैर नियमित डिप्लोमाधारकों/डिग्रीधारकों को मा0 परिषद की 101 वीं बैठक दिनांक 21–7–2003 में लिये गये निर्णयानुसार उल्लिखित शर्तो के अधीन माप–पुस्तिका करने/बिल पास करने का अधिकार दिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
11.	मण्डी परिषद में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता के पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव।	अधिशासी अभियन्ता (सिविल/ विद्युत/ यांत्रिक) पद का नाम उ0 प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली 1984 में पूर्व से सृजित पदनाम उपनिदेशक (सिविल) एवं उप निदेशक (विद्युत/यांत्रिक) में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
12.	(क) नोएडा में फल सब्जी मण्डी एवं पुष्प नीलामी केन्द्र की स्थापना विषयक वर्तमान प्रगति से मा0 परिषद को अवगत कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार। (ख) नोएडा में फल सब्जी मण्डी तथा पुष्प मण्डी की स्थापना हेतु नोएडा में क्रय की गयी भूमि पर सीमा दीवाल निर्मित करने का प्रस्ताव।	(क) नोयडा में फल सब्जी मण्डी एवं पुष्प नीलामी केन्द्र की स्थापना विषयक प्रगति से संचालक मण्डल अवगत हुआ। (ख) नोयडा में फल सब्जी मण्डी तथा पुष्प मण्डी की स्थापना हेतु नोयडा से क्रय की गई भूमि पर सीमा दीवाल के संबंध में प्रस्तावानुसार उक्त कार्य हेतु गाजियाबाद लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल 2000 की ब्रिक वर्क की दरों के स्थान पर लखनऊ लोक निर्माण विभाग, शिड्यूल वर्ष 2004 की ब्रिक वर्क की दरों पर निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की गई।
13.	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 की "खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना" एवं "समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना" कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित कृषकों के दावों के निस्तारण की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0 प्र0 की खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना एवं समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना योजनाओं से संबंधित कृषकों के दावों के निस्तारण की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करने के संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। कृषक हित में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूँकि खलिहान अग्निकांड दुर्घटना योजना एवं समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना योजना में सहायता की दरें अनेक वर्षो से पुनरीक्षित नही की गयी है,

		अतएव वर्तमान दरों के स्थान पर सीमान्त कृषकों के लिये अधिकतम रू0 5000.00, लघु कृषकों के लिये अधिकतम रू0 7,500.00 तथा अन्य कृषकों के लिये अधिकतम रू0 10,000.00 की सीमा तक सहायता अनुमन्य की जा सकती है। तद्नुसार बोर्ड की संस्तुति शासन को प्रेषित की जाए। एजेंडा पुस्तिका पृष्ठ–114 एवं 115 पर अंकित प्रस्ताव कार्यवृत्त का अंश समझा जायेगा।
14.	मण्डी समिति, लखनऊ अन्तर्गत दुबग्गा स्थल पर मत्स्य बाजार हेतु निर्मित दुकानों के किराये का पुनः निर्धारण का प्रस्ताव।	मण्डी समिति लखनऊ अर्न्तगत दुबग्गा स्थल पर मत्स्य बाजार हेतु निर्मित दुकानों के किराये के पुनः निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इसी आधार पर लखनऊ के अलावा अन्य स्थानों पर निर्मित मत्स्य मण्डी की दुकानों के किराए का भी निर्धारण किये जाने का निर्णय हुआ तथा समता के सिद्वान्त पर पूर्व आबंटित दुकानों का किराया भी इसी फार्मूलें के आधार पर माह सितम्बर, 2004 से पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया।
15.	मण्डी समिति, रसड़ा जनपद बलिया के क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्र पंचायत नगरा अन्तर्गत न्याय पंचायत नगरा के ग्राम पंचायत नगरा को उप मण्डी स्थल घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव।	मण्डी समिति, रसड़ा जनपद बलिया के क्षेत्रार्न्तगत नगरा को उपमण्डी स्थल घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव को नगरा बाजार की मण्डी शुल्क प्राप्ति अत्यन्त न्यून होने के कारण नान वायबिलटी के आधार पर अस्वीकृत किया गया।
16.	मण्डी क्षेत्र, बरीपाल को मण्डी क्षेत्र, कानपुर में विलय करने एवं बरीपाल को मण्डी समिति, कानपुर का उप मण्डी स्थल घोषित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	जिला मुख्यालय से अधिक दूरी होने के कारण तथा लाइसेसियों की पर्याप्त संख्या होने के कारण मण्डी समिति, बरीपाल को कानपुर मण्डी समिति की उपमण्डी घोषित किये जाने संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
17.	मण्डी समिति, कोपागंज के उप मण्डी स्थल, मऊ के सम्बन्ध में स्वीकृत परियोजना की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव।	कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
18.	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों को स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव।	कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
19.	पी0सी0एफ0 प्रेस द्वारा वर्ष 1995–96 में मुद्रित किये गये प्रपत्रों के अप्रयुक्त होने पर विनिष्टीकरण की कार्यवाही	प्रस्तावानुसार पी0एस0एफ0 प्रेस की अप्रयुक्त एवं नष्ट की जा चुकी स्टेशनरी के भुगतान के संबंध में मांगी जा रही धनराशि रू0 3,28,175.

	करते हुए देय राशि में रद्दी की कीमत को घटाते हुए शेष धनराशि पी0सी0एफ0 को भुगतान किये जाने हेतु प्रस्ताव।	12 को पी0सी0एफ0 को भुगतान करके उसे बट्टे खाते में डाले जाने एवं इस धनराशि की प्रतिपूर्ति प्रदेश की 243 मण्डी समितियों से बराबर धनराशि के रूप में किये जाने का अनुमोदन किया गया।
20.	सिटी कोआपरेटिव बैंक में मण्डी परिषद की जमा धनराशि के सम्बन्ध में मा0 संचालक मण्डल की 96वीं बैठक दिनांक 27.03.2002 के मद संख्या–2 एवं 98वीं बैठक दिनांक 26.10.2002 के मद संख्या–7 में लिये गये निर्णय के क्रम में अनुपालन आख्या मा0 संचालक मण्डल के अवलोकनार्थ।	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आधार के संबंध में तथा प्रकरण की पृष्ठभूमि के संबंध में आख्या अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अन्य प्रस्ताव – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1	खाण्डसारी इकाइयों हेतु मण्डी शुल्क की समाधान योजना लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	गुड़ खाण्डसारी की क्रेशर इकाइयों हेतु मण्डी शुल्क की समाधान योजना को आगामी चीनी वर्ष 2004–05 में लागू करने की सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गयी तथा योजना की रूपरेखा को अन्तिम करने के लिये मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

ह0/–
(डा0 रजनीश दुबे)
मण्डी निदेशक
सदस्य/ सचिव

ह0/–
(शिवपाल सिंह यादव)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश

दिनांक 29–6–91 तक अथवा इससे पूर्व मण्डी परिषद एवं मण्डी समिति सेवा में समूह "ग" के पदों पर अधिष्ठान मद में नियुक्त कर्मियों का शासनादेश संख्याः 20/1/97–का–2–1998 द्वारा जारी "समूह 'ग' के पदों पर दैनिक वेतन पर नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली", 1998 एवं समूह "घ" के पदों पर अधिष्ठान मद में नियुक्त कर्मियों का अधिसूचना संख्याः 15 रिट/का–2–2001 द्वारा असाधारण गजट में प्रकाशित "समूह 'घ' के पदों पर दैनिक वेतन पर नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली", 2001 के अनुसार विनियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। यह विनियमितीकरण उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली 1984 के विनियम–84 तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली 1984 के विनियम 29 के अधीन होगा।